न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-447RAAJodhpur2023-204RTA225 Bhoorsingh Vs Gumansingh etc

भूरसिंह गोदपुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत, निवासी- टेकरा तहसील बाप, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. गुमानसिंह पुत्र जालमसिंह
02. हीरसिंह पुत्र जालमसिंह
03. खमाकंवर पत्नी अणदसिंह
04. उगमकंवर पुत्री अणदसिंह
05. खमाकंवर पुत्री अणदसिंह
06. चेनकंवर पुत्री अणदसिंह
07. दुर्गाकंवर पुत्री अणदसिंह
08. निम्बकंवर पुत्री अणदसिंह
09. समेरसिंह पुत्र अणदसिंह
    सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम टेकरा, तहसील बाप, जिला फलोदी।
10. तहसीलदार बाप, तहसील बाप, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 08 नवंबर 2023 सहायक कलक्टर बाप राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 290/2023 भूरसिंह बनाम गुमानसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी श्री पुष्पेन्द्रसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से नौ
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दस

नि र्ण य

दिनांक : 24 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 290/2023 अनवान भूरसिंह बनाम गुमानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 नवंबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 04 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 363 रकबा 6.6692 हैक्टेयर ग्राम बोम्बेपुरा तहसील बाप के संबंध में धारा 88, 89, 90, 92-ए व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 नवंबर 2023 के जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से ही अपीलांट के गोदपिता नाहरसिंह के कब्जे काश्त में रही है तथा वादग्रस्त आराजी एक चक के रूप में आई हुई है। सेटलमेंट कर्मचारियों ने कब्जा काश्त के अनुरूप भूमि खसरा नं. 363 रकबा 113.06 बीघा अपीलांट के गोदपिता नाहरसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज की। तत्कालीन समय में वादग्रस्त आराजी का कब्जा काश्त अपीलांट के गोदपिता के नाहरसिंह के पास होते हुए भी तत्कालीन जागीरदार मेघसिंह पुत्र बगतावरसिंह के नाम गलत रूप से दर्ज करवा दी तथा खसरा नं. 363 की जमाबंदी में विभाजन करते खसरा नं. 363/997 रकबा 72.02 बीघा तथा खसरा नं. 363 रकबा 113.06 बीघा बना दिया। इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियों ने गलत रूप से खातेदार नाहरसिंह पुत्र मोतीसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी, जबकि जागीरदार मेघसिंह का कभी भी विवादित भूमि के रकबा 113.06 बीघा पर कब्जा व काश्त नहीं रहा। रेस्पो. संख्या एक से नौ स्व. मेघसिंह के वारिसान् है, जिनका वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज है। वक्त सेटलमेंट सर्वप्रथम कब्जा काश्त के अनुसार खसरा बंदोबस्त में खसरा नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

363 रकबा 113.06 बीघा अपीलांट के गोदपिता के नाम से मकबूजा के रूप में दर्ज हुआ, जिसको कांटछांट करके जागीरदार मेघसिंह के नाम से खसरा नं. 363 रकबा 41.04 बीघा तथा खसरा नं. 363/997 रकबा 72.04 बीघा भूमि को गैर मकबूजा के रूप में गलत रूप से दर्ज करके राजस्व रेकर्ड तैयार किया गया। इस प्रकार खसरा बंदोबस्त के रेकर्ड से ही अपीलांट का कब्जा काश्त साबित होने से विवादित भूमि का अपीलांट खातेदार काश्तकार हो गया एवं सेटलमेंट के पूर्व से खातेदार नारसिंह पि मोतीसिंह का कुल रकबा 113.06 बीघा भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। इसलिए सेटलमेंट कर्मचारियों को रकबा 113.06 बीघा भूमि कानूनन खातेदार नारसिंह के नाम दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियों ने खसरा नं. 363 का नक्शा बना दिया तथा जमाबंदी में रकबा 41.04 बीघा दर्ज कर दिया तथा उसी भूमि के एक भाग की जमाबंदी में खसरा नं. 363/997 बना दी, लेकिन राजस्व नक्शा में खसरा नं. 363 रकबा 113.06 बीघा बनाया। इस प्रकार अपीलांट के पिता का सेटलमेंट से पूर्व से ही खसरा नं. 363 के राजस्व नक्शा में वर्णित भूमि के सपूंर्ण भू-भाग पर कब्जा व काश्त दर्ज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में बड़ी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को सरंक्षित किया जाना आवश्यक है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 08 नवंबर 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथा वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 363 के वक्त सेटलमेंट से खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबित काश्त है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध सेटलमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान द्वारा जारी भू-माप संवतः तस्दीक 2013 किश्तवार ग्राम टेकरा तहसील फलोदी, जिला जोधपुर के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 363 रकबा 113.06 बीघा नाहरसिंह वल्द मोतीसिंह कौम राजपूत के नाम से मकबूजा दर्ज होना प्रतीत होती है, जिसमें कांट-छांट की जाकर मेगसिंह का नाम दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। तत्पश्चात प्रथम जमाबंदी में खसरा नं. 363 रकबा 41.04 बीघा ठा. मेघसिंह मुतबना वक्तावर सिंह कौम राजपूत भाटी टीकायत जागीरदार के नाम से दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 10.10.2023 में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 363 व खसरा नं. 363/997 एवं खसरा नं. 363/998 की भूमि पर तारबंदी करके अपीलांट भूरसिंह द्वारा खेती किया जाना प्रतीत होता है तथा मौके अपीलांट की ग्वार की फसल बोयी हुई बताया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वक्त सेटलमेंट जारी राजस्व नक्शा में खसरा नं. 363 एवं 363/997 की पृथक से तरमीम अंकित नहीं है। राजस्व नक्शे में खसरा नं. 363 का ही अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय में मूल वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचाराधीन है तथा खसरा नंबर 363 रकबा 41.04 बीघा में अपीलांट के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण जरिये साक्ष्य तय होना है। तब तक वादग्रस्त आराजी खुर्द-बुर्द न हो तथा राजस्व रेकर्ड में बदलाव न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि-विरुद्ध पाये जाने अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। लिहाजा मामले के अंतिम निस्तारण हेतु प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 290/2023 अनवान भूरसिंह बनाम गुमानसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 08 नवंबर 2023 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दो माह की अवधि में विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 363 रकबा 6.6692 हैक्टेयर ग्राम बोम्बेपुरा तहसील बाप का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे तथा अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर